न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–03 / 2017

पंजियन दि. 11.01.2017
निर्णय दि. 28.03.2018

1. श्री कुबेर पिता लवजी पाटीदार, निवासी सरोदा तह.सागवाड़ जिला डूंगरपुर
2. श्री नाथू पिता लवजी पाटीदार, निवासी सरोदा तह.सागवाड़ जिला डूंगरपुर
3. श्री डायाल पिता लवजी पाटीदार, निवासी सरोदा तह.सागवाड़ जिला डूंगरपुर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देवा पिता बदीया भगोरा मीणा, निवासी सरोदा तह.सागवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती गमीरी पत्न देवा भगोरा मीणा, निवासी सरोदा तह.सागवाडा जिला डूंगरपुर
3. लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री श्री ए.एन.मंसुरी अभिभाषक, विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार विपक्षी सं. 3 की ओर से

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत्, ग्राम सरोदा के खसरा नम्बर 2484 में से रकबा 2–बीघा भूमि विपक्षीगण सं. 1 व 2 के नाम किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस इस प्रकार है कि मौजा सरोदा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर के खसरा नं. 2137 रकबा 10 बीघा भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की जमीन है। विपक्षीगण द्वारा मौजा सरोदा के खसरा नं. 2484 में से रकबा 2–00 बीघा भूमि का आवंटन छिपे तौर पर अपने प्रभाव तथा तथ्यों का छिपाकर मीसरिप्रजेन्ट कर दिनांक 22.11.2010 को केम्प सरोदा प्रशासन गांव के संग अभियान में जरिये मीसल नं. 21 / 10 के करा लिया है। विपक्षीगण

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

आवंटन के पात्र नही थे तथा फ्रॉड कर आवंटन करा लिया है, जिसकी नवीन आराजी संख्या 9169/2484 बना है। इस आराजी पर विपक्षीगण का कभी कब्जा नही रहा है, न ही कब्जा सुपुर्द किया जा सकता था। उक्त भूमि रास्ते की भूमि है, तथा रास्ते के उपयोग में प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल से 60–70 वर्षो से अधिक समय से करते आ रहे है। उक्त आवंटन से प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। आवंटन सलाहकार समिति में विपक्षी सं. 1 की पुत्रवधु जो कि सरपंच थी, वह मौजुद थी, जिससे विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक नियुक्त हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति प्रार्थीगण के अभिभाषक को उपलब्ध कराई गई।

प्रकरण में पक्षकारगणों की बहस समायत की गई। प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि–विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को जरिये मीसल संख्या 21/10 केम्प सरोदा में दिनांक 22.11.2010 को ग्राम सरोदा की आराजी संख्या 2484 में से रकबा 2–00 बीघा का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। उक्त आवंटन सलाहकार समिति में विपक्षी सं. 1 की पुत्रवधु बतौर सरपंच उपस्थित थी तथा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेकर अपने प्रभाव का उपयोग कर आवंटन करवा लिया है, जो आवंटन नियमों के विपरित हो आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण के अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि विपक्षीगण को जो भूमि आवंटित की गई है, वह प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि रकबा 10–00 बीघा भूमि में आवागमन के रास्ते के उपयोग में आ रही है तथा आवंटन बना रहने से उनके आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो जावेगा एवं भविष्य में विवाद उत्पन्न हो वाद विविधता बढ़ेगी। प्रार्थीगण के अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी होने पर तथा विपक्षीगण द्वारा जबरन मौके पर कब्जा करने आने पर ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी को दिनांक 06.06.2016 को मौके पर बुला मौका भी देखा गया था, जिसमें मौके पर रास्ता होना प्रमाणित हुआ था। विपक्षीगण द्वारा उक्त आवंटन मीसरिप्रजेन्ट एंव फ्रॉड के जरिये कराने से निरस्त किया जावे। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने कथनो के समय 2009 (1) आरआरटी 251 एवं राजस्व नियमावली की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।

विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी संख्या 2484 पर विपक्षी सं. 1 का पुराना कब्जा काश्त होने से प्रशासन गांवो के संग अभियान में केम्प

अतिरिक्त कलक्टर
डूंगरपुर

सरोदा में आवंटन सलाहकार समिति के कैम्प में मजमे आम में अन्य 33 व्यक्तियों के साथ ही विपक्षीगण सं. 1 व 2 को भी रकबा 2–00 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है, जिसका नवीन आराजी सं. 9169/2484 कायम हो विपक्षीगण सं. 1 व 2 इस पर काश्त काबिज है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की पुवत्रवधु का तत्कालिन सरपंच होना अंकित किया गया है लेकिन एलोटमेन्ट कमेटी के सदस्यों मे सरपंच मात्र हस्ताक्षर करने वाली ऑथोरिटी होती है तथा समस्त निर्णय एलोटमेन्ट कमेटी को लेने होते है, जिससे विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के नाम किया गया आवंटन सही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह प्रमाणित है कि विपक्षी सं. 1 व 2 को ग्राम सरोदा की बिलानाम आराजी सं. 2484 में से रकबा 2–00 बीघा भूमि का आवंटन जरिये मीसल नं. 21/10 केम्प सरोदा दिनांक 22.11.2010 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है, जिसका नवीन आराजी संख्या 9169/2484 कायम हुआ है। आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय दिनांक 22.11.2010 के अवलोकन से सलाहकार समिति की बैठक में तत्कालिन सरपंच नर्वदा भगोरा के बतौर सदस्य भाग लेना प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के जवाब के पैरा–5 में किये गये वर्णन अनुसार भी विपक्षीगण सं. 1 व 2 की पुत्रवधु के सरपंच होना प्रमाणित होता है। न्यायिक उद्धरण 2009 आरआरटी 251 State of Rajasthan V/s Kaluram & ors. के हेड नोट में अंकित है कि– Rajasthan Land Revenue (Allotment of Govt. Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970-Rule 14 (4) - Cancellation of allotment - Sarpanch 'K' was nephew of allottee 'R'- was not the bonafide agridulturist-Allottee 'R' was Govt. employee at the time of allotment - Allottee 'R' was not the landless bonafide agriculturist & he died issueless before passing of the order by Addl. Collector-Held, Judgement passed by RAA is illegal & set aside.

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 13 (1) में भी अंकित है कि–आवंटन सलाहकार समिति का कोई सदस्य किसी आवेदन में उसके संबंधी होने या अन्यथा रूप में हित रखता है तो वह सदस्य उस समिति की मीटींग में भाग नही लेगा।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार विपक्षी सं. 1 व 2 को मौजा सरोदा के खसरा संख्या 2484 में से किये गये आवंटन जिसका नवीन आराजी संख्या 9169/2484 कायम हुआ है, के आवंटन दिनांक 22.11.2010 में

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

विपक्षी सं. 1 व 2 की पुत्रवधु ने बतौर सदस्य के भाग लिया है, जिससे उक्त आवंटन दुषित हो गया है तथा वह निरस्त योग्य ठहरता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सरोदा की बिलानाम आराजी संया 2484 में से रकबा 2—00 बीघा का विपक्षी सं. 1 व 2 को दिनांक 22.11.2010 को किया गया आवंटन जिसका हाल आराजी संख्या 9169/2484 है को निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार सागवाड़ा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर